महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

ज्ञान शांति मैत्री

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02–38/2019
दिनांक : 04.07.2019

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय में शोध को बढावा देने के लिए शोध परियोजना के तहत वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में विभिन्न विभागों के अध्यापकों से शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त प्रस्तावों में से चयनित अध्यापकों के शोध प्रस्तावों को राशि रु 50,000.00 (पचास हजार) स्वीकृत की गयी थी।

स्वीकृत शोध प्रस्तावों में से विश्वविद्यालय में जमा किये गये शोध प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु विभागीय स्तर पर विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष के माध्यम से मूल्यांकक/परीक्षक के रूप में कार्य करनेवाले 5 विशेषज्ञों (आचार्य से अन्यूत श्रेणी के) के नाम प्रस्तुत करेंगे।

विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तावित के नामों में से दो विशेषज्ञों को माननीय कुलपति मूल्यांकन हेतु नामित करेंगे।

कुलपति द्वारा नामित विद्वान पंद्रह दिनों में अपना प्रतिवेदन कुलपति को सौंपेंगे। इस हेतु विशेषज्ञों को पीएच.डी. शोध प्रबंध के समान मानदेय दिया जायेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

4/07/19
(कुलसचिव)

प्रति :

सभी संबंधित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष (ईमेल द्वारा)

प्रति :

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. वित्त अधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. अकादमिक संयोजक, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
   (इसे आशय के साथ कि दोनों वर्षों में प्राप्त शोध प्रस्तावों को मूल्यांकन हेतु नामित विशेषज्ञों को उपलब्ध कराएँ तथा आवश्यक सहयोग करें)
4. सहायक कुलसचिव, (अकादमिक), म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली